(123)

- गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर मप्र -

क्रमांक 6141/शिक्षण/88 बिलासपुर, दिनांक 11-10/88

आदेश

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के राजनीति विज्ञान, अध्यापन विभाग में कु0 अनुपमा सिन्हा की नियुक्ति व्याख्याता के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) वेतनमान रू. 700-1600 में मूलवेतन रूपये 700/-प्रतिमाह एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार देय भत्तों पर (म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 परिनियम एवं अध्यादेश में निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अधीन) कार्यभार ग्रहण करनें के दिनांक से की जाती है।

आदेशानुसार,

Sd

(रामचन्द्र परमार)
कुलसचिव.

पृ. क्रमांक 6142/शिक्षण/88 बिलासपुर, दिनांक 11-10-/88

प्रतिलिपि:-

1) कु0 अनुपमा सिन्हा, द्वारा श्री एम.एन. सिन्हा, प्राचार्य, डी.के.पी. एच.एस. स्कूल, कोंटा, करगी रोड, जिला-बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित. उनकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नही की जावेगी:-

अ- उन्हें कार्यभार ग्रहण के समय स्वास्थ्य एवं शारीरिक रूप से योग्य होनें संबंधी मुख्य चिकित्सक, बिलासपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि किसी सेवा में हों तो पूर्व सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति संबंधी आदेश एवं विभाग से कार्यमुक्त करनें संबंधी आदेश एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. उन्हें वेर्तमान में धारित पद पर प्राप्त कर रहे मूलवेतन रक्षित किया जायेगा.

ब- यदि वे स्वयं सेवा से अलग होना चाहें तो उस स्थिति में उन्हें एक माह के पूर्व उक्त आशय की सूचना देनी होगी अथवा उसके एवज में एक माह के पूर्ण वेतन की राशि देय होगी. यदि परिवीक्षा अवधि में उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का पूर्ण वेतन देकर सेवा से अलग किया जा सकेगा.

स- उनकी सेवाएं चाल-चलन संबंधी जांच में उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी.

--2--

द- आदेश की प्राप्ति के दिन से तीस दिन के भीतर पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिए अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी.

इ/ यह आदेश एवं इसका लिफाफा कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक है.

2§ वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है कि इस नियुक्ति पर होने वाला व्यय विकास बजट के अंतर्गत स्थापना व्यय में विकलनीय होगा.

3§ सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित.

4§ मध्य प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित.

5§ निजी नस्ती.

कुलसचिव.